

लेपिस्ट / राशित्री

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम  
अ  
ह

तारीख  
हुक्म

18.7.19

बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अपीलान्त व न अधिवक्ता अपी० उपा० आये, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में दिनांक 12.6.17 से अपी० उपा० शेष रेसपो० की राजी० नो पेश करने के आदेश हो रहे हैं परन्तु आज दिनांक तक पेश नहीं हुई दि. 14.11.18 को कोर्टिस में पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था। परन्तु पेश नहीं हुई अतः पत्रावली अदम, हाजरी, अदम घैरकी व अदम तकमील में रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाये, बाद जाणा कारिवल दफ्तर है।

0  
मुन्सिफ कोर्ट  
जिला  
राज्य नवीन न्यायाधीश  
अध्यापक केंद्र-बाराक